तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी तारीख नम्बर/
18/6/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। आज अभिभाषक [illegible] उपस्थित रहा। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली आयन्दा दिनांक 24/7/25 को प्रस्तुत हो। न्यायालय की आज्ञा से रीडर उप जिला कलक्टर अनूपगढ़	
24/7/25	पत्रावली प्रस्तुत। नकील बादी मतुल। न्यायालय द्वारा बार-बार, कम-कम पुकारे जाने से व जो बादी स्वयं व ही वकील बादी न्यायालय के समक्ष मौजूद हुए। इस स्थिति में न्यायालय द्वारा बादी का वाद नियम 17 सिविल नियम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर दोहर दर्ज नम्बर से किया जावे। सुरेश राव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2025.10.08 13:44:44 IST
Reason: SelfAttested